

पीएम सूर्यघर स्कीम में रेज़िडेन्शियल घर पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगवाने का तरीका।

१° अगर आपको पीएम सूर्य घर योजना में अपने घर पर सोलर प्लांट लगवाना है और सब्सिडी भी लेनी है तो पहले आपको योजना के लिए बने पोर्टल पर जाकर अपने को रजिस्टर करना होगा और सभी सूचनाएँ देनी होंगी। यह काम आप पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप को डाउन लोड करके भी कर सकते हैं। आपके पास एक कार्यशील मोबाइल फोन और एक कार्यशील ईमेल आईडी होनी चाहिए।

आपको अपनी लोकल बिजली कंपनी (DISCOM) को चुनना पड़ेगा। अपना बिजली का कनेक्शन नंबर भी देना होगा।

२° रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद - आप सबसिडी के लिए अप्लाई करेंगे। जिसमें आपको अपना नाम जो बिजली के बिल पर है, पता, कितना बड़ा प्लांट लगवाना है इत्यादि भरना पड़ेगा और साथ ही बिजली का बिल भी अपलोड करना होगा।

यह आपका एप्लिकेशन शासन द्वारा आपकी बिजली कंपनी को भेजा जाएगा यह जानने के लिए की आपके पते पर सोलर प्लांट संभव है की नहीं।

२° आप को जो सूचनाएँ भरनी उसकी जानकारी हमसे प्राप्त करें। तकनीकी चीजों को समझने के लिए और फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमारे परामर्शदाताके नंबर कॉल करें। **हम आपको सभी परामर्श निशुल्क प्रदान करेंगे।** आपको कितना बड़ा प्लांट लगवाना चाहिए। उसकी अनुमानित लागत क्या होगी। आपकी छत पर सूरज की दिशा क्या है। क्या प्लांट लगने पर बिजली पैदा भी होगी। बैंक से लोन की क्या संभावना है। प्लांट लगाने पर कितनी बचत हो पाएगी। प्लांट लगाने पर बिजली से चलने वाली कौन कौन सी चीजें चल पाएँगी या आप जो बिजली के उपकरण चलाना चाहते हैं उसके लिए क्या आपको अपने बिजली के लोड से अधिक लोड की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे परामर्शदाता देंगे।

३. सरकारी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के एक पखवारे के अंदर आपके पास विभाग से यह सूचना आ जाएगी की आपको सरकारी सबसिडी मिलेगी की नहीं और आपका सोलर प्लांट *feasible* भी है की नहीं।

४. यदि आपको सबसिडी के साथ ही प्लांट लगवाना है तो जब तक आपको विभाग से सूचना न मिले तबतक कुछ भी मत करिए । हम आपको सौर ऊर्जा से संबन्धित और सूचनाएँ देते रहेंगे।

५° यदि विभाग सबसिडी के लिए अनुमति देता है तो हमारे तकनीकी विभाग से दिये नंबर पर संपर्क करें। हमारे प्रतिनिधि आपके घर विजिट करेंगे और इन्सपैक्शन कर के आपको प्लांट लगाने के सभी व्यय वाला अपना इन्वाइस देंगे। यह अनिवार्य है की आप प्लांट केवल विभाग द्वारा अनुमोदित संस्था से ही लगवायेंगे। प्लांट में लगने वाले सभी उपकरण का सरकार के द्वारा न्यूनतम स्टैंडर्ड और विनिर्देश दिया गया है। उस से अलग मापदंड के उपकरण प्रयोग करने पर सबसिडी नहीं मिलेगी। उससे अच्छे गुणवत्ता वाले समान आप प्रयोग कर सकते हैं।

६° केवल विभाग से अनुमोदित संस्था ही सब्सिडि वाला प्लांट लगा सकती है, इस कारण आपके और हमारे बीच में एक २०० रु° के स्टैम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो हमें शासन को सौपना होगा।

७° अनुबंध और उसके पेमेंट टर्म्स के अनुसार भुगतान लेकर हम आपका प्लांट लगा कर चालू कर देंगे। जो भी आपको निशुल्क अतिरिक्त सुविधा देने का हमारा वादा है वह भी हम पूरा करेंगे। प्लांट के गारंटी के डॉक्युमेंट्स भी आपको प्रदान करेंगे।

८° रूफ़टोप सोलर प्लांट सिस्टम के इन्स्टालेशन के बाद आपको प्रोजेक्ट समापन की रिपोर्ट को बिजली कंपनी में नेट मीटर लगाने के लिए एवं सबसिडी के अनुमोदन के लिए देनी पड़ेगी। आवेदन करने और उसके लगवाने में आपके साथ हम भी प्रयास करेंगे। एप्लिकेशन देने के बाद, बिजली कंपनी (DISCOM) के द्वारा नेट मीटर के भुगतान के बारे में और नेटमीटर के एग्रीमेंट को हस्ताक्षर करने के बारे में दिये गए निर्देश को आपको पूरा करना होगा।

बिजली कंपनी (DISCOM) के अधिकारी नेट मीटर लगायेंगे और सिस्टम को चेक करेंगे की वह गुणवत्ता के न्यूनतम मापदंड को पूरा करता है की नहीं।

नेट मीटर लगाने और सिस्टम के सफल इन्सपैक्शन के बाद बिजली कंपनी (DISCOM) आपको कमीशनिंग सर्टिफिकेट प्रदान करेगी।

इसके बाद आपको अपने बैंक के अकाउंट की सूचना देनी होगी और साथ में एक कैन्सल चेक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी। शासन की फ़ंड वाली संस्था आपके खाते में आपके सबसिडी की राशि सीधे जमा कर देगी।

९। प्लांट के लगाने के बाद, हेलिऑस राइसिंग आप के साथ सदैव संपर्क में रहेगी और आपको सभी सहयोग प्रदान करती रहेगी की आपको सबसिडी की राशि शीघ्रतम प्राप्त हो सके।

जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वह निम्न हैं

१। किसी भी हालत में निम्न गुणवत्ता के उपकरण न प्रयोग करें। DISCOM के के इन्सपैक्शन के समय कोई कमी मिली तो कहीं इसकी वजह से आपकी सबसिडी न रुक जाए।

२। सरकार को पता है की कितने मूल्य में रूफ़टोप सोलर प्लांट सिस्टम लग सकता है। उससे कम दाम में प्लांट लगाने वाले प्रस्ताव को शक की नज़र से देखिये।

३। नेट मीटर लगाना एक सरकारी उपक्रम का कार्य है। इसमें आपका प्रयास अधिकतम होगा। प्लांट लगाने वाली संस्था सिर्फ़ सहयोग ही कर सकेगी।

४। सोलर प्लांट एक तकनीकी सिस्टम है। आपको एक तकनीकी विशेषक के सहायता की कदम कदम पर जरूरत पड़ेगी। हेलिऑस राइसिंग आपके साथ अंत तक सदा संपर्क में रहेगी।